रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2017/ ज्येष्ठ 29, 1939
No. 497] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2017/ JYAISTHA 29, 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सा. का. नि. 599 (अ) केन्द्रीय सरकार गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गर्भधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का निषेध) नियम,1996 में निम्न संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात,

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) नियम, 1996 के नियम 5 में उप नियम (1) में, इस नियम के बाद निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा, नामत:-

"परंतु आगे यह कि किसी भी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा प्रदान कराने वाले सरकारी संस्थान को पंजीकरण अथवा पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा.सं. एफ.12011/18/2015-पीएनडीटी]

वंदना गुरनानी, संयुक्त सचिव

412

टिप्पणी: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में जी.एस.आर. 1 (अ) दीनांक 1 जनवरी,1996 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पशाच निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किया गया था:-

1. सा.का.नि. 109 (अ),तारीख 14 फरवरी,2003;
2. सा.का.नि. 426 (अ),तारीख 31 मई,2011;
3. सा.का.नि. 80 (अ),तारीख7 फरवरी,2012;
4. सा.का.नि. 418 (अ),तारीख4 जून,2012;
5. सा.का.नि. 13 (अ) और 14 (ङ),दिनांक 9 जनवरी,2014;
6. सा.का.नि. 77 (अ),तारीख 31 जनवरी,2014;
7. सा.का.नि. 119 (अ),तारीख 24 फरवरी,2014
8. सा.का.नि. 60 (अ),तारीख 28 जनवरी,2015 एवं
9 .सा.का.नि. 492 (अ),तारीख 22 मई, 2017

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2017

G.S.R. 599 (E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, namely :-

1. (1) These rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996, in rule 5, in sub rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

   "Provided further that no government institution which provides health and medical services shall be required to pay fee for registration and renewal of registration".

[F. No. F.12011/18/2015-PNDT]

VANDANA GURNANI, Jt.Secy.

411

Note.- The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1(E) dated the 1st January, 1996 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R. 109 (E), dated the 14th February, 2003;
2. G.S.R. 426 (E), dated the 31st May, 2011;
3. G.S.R. 80 (E), dated the 7th February, 2012;
4. G.S.R. 418 (E), dated the 4th June, 2012;
5. G.S.R. 13(E) and 14(E), dated 9th January 2014;
6. G.S.R. 77 (E), dated 31st January 2014;
7. G.S.R. No. 119(E), dated 24th February, 2014;
8. G.S.R. No. 60 (E), dated 28th January, 2015 and
9. G.S.R. No. 492 (E), dated 22nd May, 2017

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.20 22:38:15 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.